

# नगर पंचायत का कार्यालय , सरायकेला

मुकदमा संख्या 27/12-13

निम्नलिखित शर्तों के साथ आवेदक/आवेदिका Smt. Usha Mahato  
पिता/पति Sri Ram Lal Mahato पता Ward No - 08 Khata No - 59 Plot No - 250/4  
Area - 9.5 Dec. Const Area - 1559 Sq.ft. (G. Floor), Saraikeela का भवन निर्माण  
नक्शा स्वीकृति दी जाती है।

1. आवेदक/आवेदिका सरकारी या नगर पंचायत जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण कर जमीन का अतिक्रमण नहीं करेंगे। अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमित अंश को तोड़ दिया जायेगा और तोड़ने पर जो व्यय होगा वह व्यय आवेदन/ आवेदिका से वसूला जायेगा।
2. भवन में सेवा शौचालय का निर्माण नहीं करेंगे।
3. भवन में रोशनी के लिए पर्याप्त रोशनदान की व्यवस्था करेंगे।
4. पुराना भवन तोड़ने के समय आस-पास की पड़ोसियों को क्षति नहीं पहुँचायेंगे।
5. नगर पंचायत नाली, जमीन एवं रास्ते से पाँच फीट एवं भवन के तिनो तरफ तीन फीट छोड़कर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।
6. भवन में डीप बोरिंग नहीं करेंगे।
7. उक्त निर्मित भवन में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक द्रव्यों का व्यापार या भण्डारण नहीं करेंगे।
8. पत्थर, बालु, गिट्टी, मिट्टी, ईट इत्यादी रख कर नाली या रोड को अवरुद्ध नहीं करेंगे। अवरोध करने पर जुर्माना लागू किया जायेगा।
9. सटे पड़ोसियों के तरफ दरवाजा या खिड़कियाँ नहीं खोलेंगे एवं जमीन अतिक्रमण नहीं करेंगे।
10. पर्यावरण जल संचयन, जमीन को प्रकृति एवं आदिवासी, गरीबों के हितों का ध्यान रखते हुए भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।
11. आवश्यकता होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले नगर पंचायत अमीन या अंचल अमीन की उपस्थिति में उनकी माप के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।
12. भवन में वज्र निवारण लगाना अनिवार्य है।
13. नक्शे की स्वीकृत अवधि एक साल तक रहेगी, एक साल के बाद नवीकरण कराना अनिवार्य है। नवीकरण नहीं करने पर नक्शे को अस्वीकृत माना जायेगा।
14. नगर पंचायत नाली एवं रोड तरफ शौचालय का पाईप लगाना बाधित है।
15. भविष्य में किसी प्रकार तकनीकी गड़बड़ी उत्पन्न होने पर स्वीकृत नक्शा को खारिज करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

अतः एक प्रति नक्शा आवेदक को दिया जाय और एक प्रति संचिकारत रखा जाय।



कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत, सरायकेला  
07/12